

दिल्ली का तुर्कमान गेट छवनी में ठंडीत, पत्थरबाजी के बाद बीएनएसएफ की घात 163 लश्कर, 1000 जवान नैकत नई दिल्ली। शुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट इलाके के पास हुई पत्थरबाजी की घटना के मद्देनजर दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से घर पर हो नमाज अदा करने की अपील की है। बुधवार को मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद पत्थरबाजी की घटना घटी। शुरुवार को नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के बाहर और आसपास के इलाकों में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 85 ● नई दिल्ली ● शनिवार 10 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली ने आज तोड़ दिए ठंड के सारे रिकॉर्ड, इस मौसम के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा टेंपरेचर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शुरुवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया जबकि शहर के कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम में सामान्य तापमान से लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था और यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। शहरभर के मौसम स्टेशनों ने भी सुबह के शुरुआती घंटों में हल्की बारिश दर्ज की, जिससे लोगों को कड़क की ठंड का सामना करना पड़ा। स्टेशनवार आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि पालम में 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया,

जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम था, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था, जबकि रिज स्टेशन पर 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम था, सूचीबद्ध स्टेशनों में आयानगर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो औसत से 1.2 डिग्री कम था।

पालम और रिज स्टेशन पर कोई बारिश दर्ज नहीं

सफदरजंग और लोधी रोड में पिछले 24 घंटों में सुबह साढ़े आठ बजे तक मामूली बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 0.8 मिमी बारिश हुई, इसी अवधि के दौरान पालम और रिज स्टेशन पर कोई बारिश दर्ज नहीं की गई। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, दिल्ली में अक्षरधाम, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, आर के पुरम, डिफेंस



कॉलोनी, लाजपत नगर, तुगलकाबाद, इन्डू, आयानगर और डेरामंडी समेत कुछ स्थानों पर बूंदबांदी होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान बूलेटिन में कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। विभाग ने कहा, आज

सुबह कड़क की ठंड है लेकिन अभी तक शीत लहर की कोई आशंका नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

बृहस्पतिवार को मौसम को तीसरी सबसे ठंडी सुबह रही थी, क्योंकि शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में पारा गिरकर 5.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। इस मौसम का सबसे

कम न्यूनतम तापमान चार और पांच दिसंबर को दर्ज किया गया था, जब तापमान गिरकर 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, एक दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस था, जिससे बृहस्पतिवार का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस इस सर्दी में अब तक दर्ज किया गया तीसरा सबसे कम तापमान था। दिल्ली में इस साल का पहला शीत दिवस छह जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान गिरकर 15.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम था। बुधवार को भी राजधानी में भीषण ठंड का प्रकोप जारी था। अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था, और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री

सेल्सियस रहा था, जो मौसमी औसत से 1.7 डिग्री कम था। विभाग के अनुसार, शीत दिवस की स्थिति तब घोषित की जाती है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे गिर जाता है।

इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में बनी रही, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 325 दर्ज किया गया। छब्बीस निगरानी केंद्रों ने अत्यंत खराब वायु गुणवत्ता की सूचना दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वर्गीकरण के अनुसार, एक्यूआई शुन्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।

अमित शाह कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया तो भड़कीं महुआ मोइत्रा

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक तापमान उस समय अचानक बढ़ गया जब तुणमूल काग्रेस के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तुणमूल काग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डरेक ओब्रायन और कीर्ति आजाद भी शामिल थे। प्रदर्शन का कारण राजनीतिक रणनीति से जुड़ी संस्था आई-फैक और उससे संबंधित लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी थी।

तुणमूल काग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी तैयारियों को बाधित करने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। हलांत तब और गंभीर हो गए जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया। सांसदों को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया। तुणमूल काग्रेस नेतृत्व ने इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को



कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि विपक्ष को आवाज दबाने के लिए डर और दमन का सहारा लिया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक गंथा नहीं है। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण कानून व्यवस्था करने के कारण कानून व्यवस्था पड़ी। उधर, पुलिस हिरासत से छूटने के बाद तुणमूल सांसदों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अख

सांसद कीर्ति आजाद ने L-PAC ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर कहा, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अमित शाह के कार्यालय के बाहर ईडी की छापेमारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन प्रश्न उठता है कि ईडी की रेंड विशेष तौर पर और जबरदस्ती तौर पर क्यों किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुद कहा था कि हिमंत बिस्वा सरमा को जेल में जालेंगे, अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70 हजार करोड़ का घोटाला हुआ था, बंगाल के एक नेता सुबेंदु अधिकारी को भी 5 लाख रुपये की हेरा-फेरी करते देखा गया था। क्या ईडी केवल उन विरोधियों के खिलाफ काम कर

रही है जिसके खिलाफ वे (भाजपा) जीत नहीं सकते? क्या भाजपा को हिम्मत नहीं कि वे वहां (पश्चिम बंगाल) आकर ममता बनर्जी के खिलाफ जीत सके? कीर्ति आजाद ने कहा कि आज 2 बजे हमारी नेत्री कोलकाता की सड़कों पर मार्च करेंगी ईडी के असंवैधानिक कार्रवाई पर। गैर राजनीतिक रूप से हम पर जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना, यह जो भी किया गया है, जो भी रेंड हुई है वह उचित नहीं अनुचित है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, हमें हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया है। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने अपने प्रवर्तन निदेशालय, वसूली निदेशालय को हमारी पार्टी पर लूटपाट करने, राजनीतिक जासूसी करने और हमारे चुनाव डेटा और दस्तावेज चुराने के लिए भेजा। वे हमें, जन प्रतिनिधियों को, यहाँ घसीटकर लाए, ईडी सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों है? किसी और विपक्षी नेता में वह हिम्मत नहीं है जो दोदी (ममता बनर्जी) ने कल हमारी पार्टी के दस्तावेज बचाने के लिए किया।

पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही विपक्षी पार्टियां... तुर्कमान गेट मामले में भड़की बीजेपी! इंडी अलायंस को बताया 'रावलपिंडी गठबंधन'

नई दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में ऐतिहासिक फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर उठे विवाद के बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष और आलोचकों के उन आरोपों का कड़ा खंडन किया है जिनमें मस्जिद को ध्वस्त करने का दावा किया गया था। भाजपा प्रवक्ता शहजद पूनावाला ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इसी दावे का वीडियो साझा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और भारत-भारत गठबंधन को रावलपिंडी गठबंधन करार दिया है। पूनावाला ने इन आरोपों को फर्जी, दुष्प्रचार और उकसावा बताते हुए सिर से खारिज कर दिया और कहा कि आलोचकों के आरोपों के विपरीत मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यह विवाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर मस्जिद के पास स्थित अनाधिकृत व्यावसायिक ढांचों जैसे कि निदान केंद्र और विवाह हॉल को हटाने के अभियान से उपजा है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने प्रकरों से कहा कि फैज-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। धार्मिक संरचना को कोई क्षति नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक वैध अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई को धार्मिक संरचना पर हमले के रूप में चित्रित करने के लिए जानबूझकर झूठी कहानी फैलाई गई थी। उन्होंने कहा कि फैज-ए-इलाही मस्जिद को ध्वस्त किए जाने या मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने के बारे में फैलाई जा रही सारी झूठी बातें और दुष्प्रचार पूरी तरह से बेकाब हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के आदेशों के तहत केवल अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया था। पूनावाला ने आरोप लगाया कि दुष्प्रचार अभियान आक्रामक नहीं बल्कि सुनियोजित था। उन्होंने दावा किया कि इस कहानी को पाकिस्तान ने अपनाया और पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जिससे इसके स्रोत पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा अब ऐसा लगता है कि दिशा और पटकथा वहीं और से आई थी, और विपक्ष केवल उस पटकथा को सुना रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान और विपक्षी नेताओं के बीच सुर और ताल - या सम्बन्ध - स्पष्ट था।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने नए कानून का बचाव करते हुए कहा कि अनुच्छेद 30 की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार द्वारा रेगुलेटरी उपायों को इजाजत देते हैं। याचिका में दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी एक आदेश को भी चुनौती दी गई थी। आदेश में प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन टीचर और द्व्यंघ का एक प्रतिनिधि शामिल होना जरूरी था। स्कूलों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि उन्होंने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। रोहतगी ने दलील दी कि इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह एक्ट के खिलाफ है और इसलिए गैर-कानूनी है।

दिल्ली विधानसभा के बाहर आप का जोरदार प्रदर्शन, आतिशी के वीडियो को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने शुरुवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष के नेता आतिशी से जुड़े एक फर्जी वीडियो को प्रसारित करके दिल्ली के प्रमुख मुद्दों, जैसे कानून व्यवस्था, दूषित पानी, प्रदूषण और यमुना नदी से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर गलत ट्रान्सक्रिप्शन के साथ वीडियो साझा किया। एनआईए से बात करते हुए झा ने कहा कि दिल्ली में कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, दूषित पानी, प्रदूषण। इन समस्याओं से बचने के लिए भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया है और उसमें गुरु साहब का नाम घसीटा है ताकि असली मुद्दों पर चर्चा न हो सके... दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गलत ट्रान्सक्रिप्शन के साथ वीडियो पोस्ट किया है। हम उनके और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्हें छह महीने के लिए निर्वासित किया जाना चाहिए। एक दिन पहले, दिल्ली विधानसभा में उस समय होमाग मंच गया जब भाजपा विधायकों ने विपक्ष के नेता आतिशी द्वारा एक सिख गुरु पर कथित टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद आप विधायक पोस्टर लेकर और नारे लगाते हुए विधानसभा में घुस गए और कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी (सोमवार) को शुरू हुआ और 8 जनवरी तक चलेगा। आप विधायक और विपक्ष के उपनेता मुकेश अहलावत ने आतिशी पर लगे आरोपों और इस मामले से जुड़े वीडियो के प्रसार के संबंध में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा। अपने पत्र में अहलावत ने कहा, कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि उन्होंने वीडियो फुटेज कैसे प्राप्त किया। उनके द्वारा ट्वीट किए गए फुटेज में भी यह स्पष्ट है कि विपक्ष के नेता आतिशी कह रही हैं, तो कृपया चर्चा करें। आप सुबह से क्यों भाग रहे हैं? आप कह रहे हैं, कुर्तों का सम्मान करो, कुर्तों का सम्मान करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इस मामले पर चर्चा की अनुमति दें।

हाई कोर्ट ने दी अल्पसंख्यक स्कूलों को राहत, फीस रेगुलेशन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी को तलब

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरुवार को अलग-अलग अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जवाब मांगा। इन याचिकाओं में एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरी बनाया गया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया और सुनवाई मार्च तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्कूल मैनेजमेंट को छह हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने की भी इजाजत दी। बेंच ने कहा कि स्कूल 10 जनवरी की पिछली डेडलाइन के बजाय 20 जनवरी तक अपने द्वारा ली जाने वाली फीस को रेगुलेट करने के लिए स्कूल-लेवल कमेटीयां बना सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा प्रस्तावित फीस कमेटी को जमा करने की आखिरी तारीख पहले तय की गई 25 जनवरी



के बजाय 5 फरवरी तक बढ़ा दी जाएगी। अलग-अलग अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं में दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि हाई कोर्ट ने गुरुवार को भी कई प्राइवेट स्कूलों द्वारा नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अल्पसंख्यक स्कूलों ने तर्क दिया कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का

उल्लंघन करता है, जो सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि अल्पसंख्यक स्कूलों को अपनी फीस तय करने का अधिकार है और सरकार केवल यह सुनिश्चित कर सकती है कि ली जाने वाली फीस बहुत याद न हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सरकार से पहले मंजूरी लेना गलत है और यह नियम अनुच्छेद 30 का साफ उल्लंघन है। हालांकि, शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश हुए

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने नए कानून का बचाव करते हुए कहा कि अनुच्छेद 30 की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले सरकार द्वारा रेगुलेटरी उपायों को इजाजत देते हैं। याचिका में दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा 24 दिसंबर, 2025 को जारी एक आदेश को भी चुनौती दी गई थी। आदेश में प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों को 10 जनवरी, 2026 तक एक स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच माता-पिता, तीन टीचर और द्व्यंघ का एक प्रतिनिधि शामिल होना जरूरी था। स्कूलों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि उन्होंने नए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। रोहतगी ने दलील दी कि इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह एक्ट के खिलाफ है और इसलिए गैर-कानूनी है।

आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें बैंक: सीडीओ

मुरादाबाद।

मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मुणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उद्योग विभाग, आईटीआई, श्रम विभाग, कौशल विकास मिशन और सेवायोजन विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में उद्योग विभाग की सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की विस्तृत समीक्षा के दौरान संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि योजना के अन्तर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्र 4675 के सापेक्ष बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में 9 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी मात्र 1663 स्वीकृति तथा 1549 आवेदन पत्रों पर वितरण की कार्यवाही की गयी है जो कि जनपद को आवंटित लक्ष्य 2900 के सापेक्ष 53 प्रतिशत ही प्रगति प्राप्त की गई है। समीक्षा में पाया गया कि उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा अब तक 53 प्रतिशत, यूको बैंक द्वारा 48 प्रतिशत, केनरा बैंक

द्वारा 44 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 32 प्रतिशत, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 29 प्रतिशत, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 27 प्रतिशत स्वीकृति की प्रगति प्राप्त की गई है। बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों जैसे उ.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा 15 स्वीकृति एवं 6 वितरण, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 12 स्वीकृति तथा 6 वितरण, केनरा बैंक द्वारा 20 स्वीकृति तथा 7 वितरण, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 20 स्वीकृति तथा 5 वितरण, यूको बैंक द्वारा 11 स्वीकृति तथा 8 वितरण, इण्डियन बैंक द्वारा 3 स्वीकृति तथा 2 वितरण, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा 1 वितरण, पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा 5 स्वीकृति करने का बैठक में आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दूरभाष पर 12 स्वीकृति तथा 3 वितरण करने का आश्वासन दिया गया। इसके अतिरिक्त समस्त शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी तक उनके द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 80



प्रतिशत की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 31 जनवरी 2026 तक उनको आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत की प्रगति सुनिश्चित कर ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि जनवरी माह में उद्योग विभाग

प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनको आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। सेवायोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को आवंटित रोजगार मेलों के वार्षिक लक्ष्य 46 के सापेक्ष दिसम्बर माह तक 45 मेलों की पूर्ति कर ली गई है। तथा मेले में चयनित अभ्यर्थियों के लक्ष्य 4650 के सापेक्ष 4953 की पूर्ति प्राप्त की जा चुकी है तथा कैरियर काउंसलिंग 90 के सापेक्ष अब तक 86 तथा प्रतिभागी अभ्यर्थियों के लक्ष्य 10500 के सापेक्ष 1×255 की पूर्ति प्राप्त कर ली गई है इसमें वृहद स्तर पर रोजगार मेला आयोजित करने के सम्बंध में अवगत कराया गया कि फरवरी 2026 में मेला आयोजित कराया जायेगा। श्रम विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मातृत्व शिशु तथा बालिका मदद योजना के अन्तर्गत अब तक 1253 आवेदन तथा कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत अब तक 1104

आवेदन स्वीकृत किये गये हैं। सहायक निदेशक कारखाना मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीकरण के वार्षिक लक्ष्य 210 (संशोधित 420) के सापेक्ष अब तक 149 कारखानों का नवीन पंजीकरण कराया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिन विभागों तथा बैंकों द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई है उन्हें पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में योगेश कुमार संयुक्त आयुक्त उद्योग, अजीत कुमार कन्नौजिया सहायक श्रमायुक्त, योगेश कामेश्वर सहायक आयुक्त उद्योग, अमित कुमार सहायक निदेशक कारखाना, रमेश चन्द्र त्रिपाठी जिला सेवायोजन अधिकारी, जेपी सिंह कौशल विकास मिशन विभाग, मनोज कुमार मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, अरूण कुमार उ.प्र. ग्रामीण बैंक, मोहित कुमार प्रबन्धक केनरा बैंक, नितिन कुमार सागर एलबीओ आदि उपस्थित रहे।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का रखा जाये विशेष ध्यान : डीएम

50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद मुरादाबाद में 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली निर्माणधीन परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को डाटा अपडेशन पर विशेष ध्यान देते हुए ठीक प्रकार से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेशन से रैकिंग में सुधार आया है। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। निर्माण परियोजनाओं को हैण्डओवर करने से पूर्व ही समस्त कार्य दुरुस्त हों, इसको सुनिश्चित भी किया जाये। कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ द्वारा राजकीय प्रखेत्र रौण्ड के सुदृढीकरण में भौतिक प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।



राजकीय पौधशाला फहेतउल्लागंज निर्माण परियोजना का अपडेशन नहीं होने पर डीएम ने कार्यदायी संस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल अपडेशन किए जाने के निर्देश दिए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छात्रावास भवन निर्माण की भौतिक प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष न होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए

कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उ.प्र. जल निगम ग्रामीण द्वारा रुस्तमनगर सहसपुर में सोलर पैनल एवं मिट्टी भराव का कार्य कैम्पस में शेष रहने पर डीएम ने जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र मुरादाबाद के प्रशासनिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति लक्ष्य के

सापेक्ष नहीं होने पर डीएम ने कार्य में तेजी लाकर समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने उ.प्र. जल निगम नगरीय, यूपी सिडको, सीएनडीएस, उ.प्र. पर्यटन विकास निगम, उ.प्र. रा'य सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग,प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग, उ.प्र. वक्फ विकास निगम लिमिटेड, पैकफेड आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जनपद में निर्माणधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ मुणाली अविनाश जोशी, जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

रैली निकालकर यातायात नियमों के प्रति किया सचेत

मुरादाबाद। गोकूलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। रोवर्स-रेंजर्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं और आम लोगों को राहवीर योजना तथा जीरो फेटेलिटी समाधान के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने एक जागरूकता रैली निकाली। छात्राओं ने शहर के विभिन्न चौराहों पर राहगीरों को रोककर राहवीर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं ने बताया कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है। यह योजना लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करके हम कई अनमोल जिंदगियां बचा सकते हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर विशेष जोर दिया। रैली के दौरान, छात्राओं ने बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोक। उन्होंने ऐसे वाहन चालकों को सुरक्षा नियमों के प्रति सचेत किया और हेलमेट व सीट बेल्ट को जीवन रक्षक उपकरण बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन रोवर्स-रेंजर्स अधिकारी प्रोफेसर एकता भाटिया एवं डॉ. प्रेमलता कश्यप, तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता अग्रवाल एवं शिवानी गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अनुशासिका प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर मोनाक्षी शर्मा, डॉ. रेनु शर्मा, डॉ. प्रीति पांडे आदि मौजूद रहे।

नगर पंचायत भटनी बाजार में हुई अहम बैठक, अतिक्रमण पर सख्त रुख

भटनी देवरिया।

नगर पंचायत भटनी बाजार के विकास एवं आम जनमानस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने की। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ अतिक्रमण एवं जनसुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र के मेन रोड, सिनेमा रोड, विकास रोड, चूड़ा गली, चुबी गली तथा शिव मंदिर से आदर्श चौराहा तक सड़कों के चौड़ीकरण एवं आम नागरिकों के सुरक्षित और सुचारु आवागमन के लिए नगर पंचायत द्वारा पहले मार्किंग कराई जाएगी। इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो चिन्हित क्षेत्रों में निरीक्षण कर कार्रवाई करेगी। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि फुटपाथ एवं सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा कर दुकानदारी या अन्य गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक और

फुटपाथ व सड़क किनारे कब्जे हटेंगे, मार्किंग के बाद उल्लंघन पर होगी कार्रवाई — विजय कुमार गुप्ता

बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फुटपाथ पर किए गए कब्जे किसी भी स्थिति में हटाए जाएंगे और सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों को हटाकर यातायात को सुचारु बनाया जाएगा। अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि मार्किंग के बाद जो भी व्यक्ति निर्धारित सीमा का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सख्त एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत का उद्देश्य नगर को अतिक्रमण मुक्त, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाना है। बैठक में उपस्थित सभासदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नगर के विकास और व्यवस्था सुधार को लेकर अपने-अपने सुझाव रखे। नगर पंचायत प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर नगर को सुंदर और सुरक्षित बनाने में योगदान दें।

अधिवक्ताओं ने केक काटकर मनाई फातिमा शेख की जयन्ती

फतेहपुर।

देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती बुद्ध पार्क के निकट कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता मो0 आसिफ एडवोकेट की अध्यक्षता में केक काट कर समारोहपूर्वक मनाई गई। जयन्ती समारोह में उपस्थित अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे ने कहा कि फातिमा शेख ने महिलाओं के बीच शिक्षा की जो ज्योति जलाई थी, वो आज निरन्तर जल रही है। शिक्षा की वजह से ही आज महिलाएँ अपने अधिकार को प्राप्त कर भारत को गौरान्वित कर रही हैं। बाल कल्याण समिति की सदस्य तरनुम नाज ने कहा कि फातिमा शेख ने महिलाओं हेतु स्कूल खोला, जो महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्हीं की देन है कि आज तमाम सामाजिक कुरीतियों से बचकर महिलाएं सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं। सब इम्पेक्टर महिला थाना आशा पांडेय ने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है। जब महिला की बात आती है तो शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है। इसलिए बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए। जयन्ती समारोह की अध्यक्षता करते हुए मो0 आसिफ



एडवोकेट ने इतिहास से अवगत कराते हुए कहा कि 1848 में लड़कियों, विशेष रूप से दलित और मुस्लिम समुदाय की बहन-बेटियों को शिक्षित करने में फातिमा शेख का योगदान अविस्मरणीय है। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ दलित व मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जब सावित्रीबाई फुले को घर से निकाला गया, तब फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने फुले दंपति को सहारा दिया। स्कूल में अध्यापकों की अनुपलब्धता के समय भी फातिमा शेख ने बालिकाओं को पढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसीलिए फातिमा शेख को दलित-मुस्लिम

एकता के घजवाहक के रूप में याद किया जाता है। अन्त में उन्होंने सभी का आभार जताते हुए धन्यावाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेन्द्र सिंह एडवोकेट, नरोत्तम सिंह एडवोकेट, वीर प्रकाश लोधी एडवोकेट, श्रवण कुमार गौड़ एडवोकेट, वीर सिंह एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता मालती देवी, रूढ़ी एडवोकेट, अनुज दिक्षित एडवोकेट, अजलाल फारूकी एडवोकेट, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक मो0 कासिम, बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री बचानी लाल एडवोकेट, पूर्व महामंत्री आशीष गौड़, पूर्व महामंत्री मणि प्रकाश दुबे, चंद्रपाल मौर्य एडवोकेट, ममनून एडवोकेट, आसिफ मकसूद एडवोकेट, मलखान सिंह, अतहियात एडवोकेट, शकील

शिक्षा से ही भारत को गौरान्वित कर रही महिलाएं- गया प्रसाद दुबे सामाजिक कुरीतियों से बचकर आगे बढ़ रही आधी आबादी-तरनुम नाज शिक्षा जीवन का आधार, बेटियों को दिलाएं अच्छी शिक्षा-आशा पाण्डेय बहन-बेटियों को शिक्षित करने में फातिमा शेख का योगदान अविस्मरणीय-मो0 आसिफ

एडवोकेट, सुरेन्द्र गौतम एडवोकेट, बौद्ध प्रिय गौतम एडवोकेट, मोहम्मद गुलफाम खान एडवोकेट, माया गौतम एडवोकेट, रुखसार एडवोकेट, अलफिरा एडवोकेट, दिव्या एडवोकेट, दानिशी एडवोकेट, यासीन एडवोकेट, मोहम्मद यासीन एडवोकेट, मिर्जा असद बेग एडवोकेट, व्यापारी नेता नृजेश सोनी, सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रसाद, दिलशाद अली, गाजी अब्दुर रहमान गनी, दिलशाद अहमद, धीरज कुमार बाल्मीकि, शोएब अहमद अरबी, इशराद हुसैन, प्रकाश अम्बेडकर, नरेश पासो सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दिल्ली में जल संकट की क्या है बड़ी वजह, विधानसभा में मंत्री प्रवेश वर्मा गिनाने लगे कारण

नई दिल्ली। राजधानी में गंद और दूषित पानी की शिकायतें बढ़ने के बीच जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि दिल्ली में जल प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह पुरानी और टूटी हुई पाइपलाइनें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह पूरी व्यवस्था पिछली सरकार से विरासत में मिली है, जिसमें सुधार करना

आसान नहीं है। उसके अनुसार दिल्ली में लगभग 5,200 किलोमीटर पाइपलाइनें ऐसी हैं, जिन्हें बदलने बिना साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल है। 30-40 साल पुरानी पाइपलाइनों से सप्लाई

पाइपलाइनों बिच्छी हुई हैं, जिसमें से कई इलाकों में पाइपलाइनें 30 से 40 साल पुरानी हैं। इन पाइपलाइनों में जगह-जगह रिसाव है और कई जगह सीवर लाइनें इनके साथ मिल जा रही हैं, जिसके कारण पानी दूषित होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि राजधानी के कई हिस्सों में बार-बार

गंद पानी की शिकायतें सामने आती रहती हैं। 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले 11 महीनों में जल विभाग से जुड़े 7,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य पुरानी

पाइपलाइनों को बदलना, पानी का सही वितरण करना और नई तकनीक के जरिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि राजधानी के करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का काम पहले ही शुरू हो चुका है, जबकि बाकी इलाकों में भी जल्द ही काम

शुरू होगा। पिछली सरकार को घेरा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान जांचका और एंजिनीयरी जैसी अंतरराष्ट्रीय एंजेंसियों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्यों तकलट की गईं। उनके अनुसार यदि ये प्रोजेक्ट समय पर शुरू हो जाते, तो आज दिल्ली में

जलदूषण की स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं को ठीकाण शुरू किया है और अब काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साफ जल, सरकार की पहली प्राथमिकता

बजट 2026: राष्ट्रपति ने दी मंजूरी; दो चरणों में चलेगी कार्यवाही संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू

नई दिल्ली । भारत सरकार की सिफारिश पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है। यह सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, और संसद 9 मार्च 2026 को फिर से एकत्रित होगी, जो सार्धक बजट और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के संसदीय बजट सत्र के कार्यक्रम को औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार की सिफारिश पर लिए गए इस निर्णय के अनुसार, संसद का आगामी बजट



सत्र 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यह सत्र देश के आगामी वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए आर्थिक खाका तैयार करने दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

बजट कब पेश होगा?

कि इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। हालांकि माना जा रहा है संसदीय कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित रखने और सार्धक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए इस बार के बजट सत्र को दो चरणों में विभाजित किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार शैड्यूल इस प्रकार होगा- पहला चरण- सत्र को शुक्रात 28 जनवरी 2026 को होगी। यह चरण लगभग दो सप्ताह तक चलेगा और 13 फरवरी 2026 को समाप्त होगा। अवकाश- पहले चरण की समाप्ति के बाद संसद की कार्यवाही में विराम रहेगा। इस दौरान संसदीय समितियां आम तौर पर विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मंजी की अध्ययन करती हैं। दूसरा चरण- अवकाश के बाद

संसद 9 मार्च 2026 को फिर से एकत्रित होगी। बजट सत्र का समापन कब? सत्र का समापन 2 अप्रैल 2026 को होगा। आधिकारिक घोषणा में इस शैड्यूल को 'सार्धक' बजट और जन-केंद्रित शासन- की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। 9 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण में बजट प्रस्तावों पर विमर्श चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही वर्ष 2026 के सबसे महत्वपूर्ण संसदीय सत्र की समय सारिणी तय हो गई है। 28 जनवरी से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया देश की आर्थिक नीतियों और विषयी कार्यों के लिए मंच तैयार करेगी।

तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी, 13 जनवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली ।

दिल्ली स्थित तीस हजार कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण होने के दौरान पत्थरबाजी के मामले में सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सीबी, कैफ, काशिफ, अदनन और समीर ने तीस हजार कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। तीस हजार कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। कोर्ट ने जेल सुपटिण्डेंट को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी पांच आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है। आरोपियों के कबाले ने आरोप लगाया कि सभी पांच आरोपियों को जेल के



अंदर पीटा गया। एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को फैज-ए-इलाही मस्जिद पत्थरबाजी मामले में सेशन फिलिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। वह इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तीस हजार कोर्ट ने 8 आरोपियों की सुडिशियल करटछे पर पैरसला सुरक्षित रख लिया है। उन्हें वेबका गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के रिहाइयत हवा की कोशिश और उकसाने से जुड़े पाठकों के जल मामला दर्ज किया

है। महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से पूछताछ

प्रदूषण पर प्रहार : सीएचयूएम ने दिए एनसीआर में 16 प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश, उल्लंघन पर चेताया



नई दिल्ली । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएचयूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को तेजी से कम करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 16 औद्योगिक इकाइयों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये इकाइयां गंभीर और बार-बार होने वाले पर्यावरण नियंत्रण के उल्लंघन के दोषी पाई गईं। निरीक्षण के दौरान पता

चला कि इन इकाइयों ने संचालन की सहमति (सीटीओ) और स्थानों की अनुमति (सीटीई) के बिना काम किया, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) नहीं लगाया या उन्हें ठीक से नहीं चलाया, प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल किया, ग्रेप की रोक अवधि में भी संचालन जारी रखा, ड्रेजल जमावट सेट के नियमों की अनादेखी की तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं से

हिमाचल के सिरमौर में खाई में गिरी बस, हादसे में नौ लोगों की मौत

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां रैण कालीन विधानसभा क्षेत्र के हरपुराबा में एक प्रखंड बस ऑनरिजित होकर 400 मीटर खाई में गिर गई है। इस हादसे में नौ लोगों के मारे जाने की सूचना है। इस दुर्घटना हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। वहीं, मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अभी तक करीब 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। स्थानीय लोग हाल एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जीत कोच बस शिमला पर फिसलना था। इसके चलते बस अनियंत्रित होकर हादसे में शामिल हो गई। स्थानीय लोग हादसे में घायलों को बाहर सड़क तक लेकर



आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर चीखें फुकार मची हैं। हादसा इनका भ्रमनाक था कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं। एसपी सिरमौर, निश्चित सिंह नेगी ने कहा कि सिरमौर जिले में हरपुराबा के पास कुचवी से शिमला जा रही एक प्रखंड बस के सड़क से नीचे गिरने से हुए हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 30-35 लोग सवार हैं। और जानकारी का इंतजार है। मैं मौके पर जा रहा हूँ। पुलिस और दूसरी बचाव टीमें घायलों को निकालने की कोशिश कर रही हैं।

चाइना को ठेके, डोनाल्ड ट्रम्प पर चुप्पी! खरगे ने कहा- पीएम नरेन्द्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी आत्मसमर्पण है

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मधुसूदन खरगे ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर उन खबरों को लेकर हमला बोला जिसमें कहा गया था कि भारतीय सरकार सरकारी ठेकों के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर लगे पांच साल पुराने प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति में असमर्थता का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि भारत की विदेश नीति एक बेकवून पैडलम की तरह झूलती है और साथ ही भारत की विदेश नीति में असमर्थता को और इशारा किया। उन्होंने कहा कि दुसरा खासियत जनता भुगत रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मैं देश को झुकाने नहीं दूंगा। वलें बचान पर कटाख करते हुए खरगे ने कहा कि मौजूदा स्थिति इस तब के किन्तुल उलट है। खरगे ने दू पर पोरट किया कि मैं देश को झुकाने नहीं दूंगा। आज जो हो रहा है, वह ठीक



इसका उल्टा है। दो हस्तिय उदाहरण- चीनी कंपनियों पर 5 साल से लगा प्रतिबंध हटाय जा रहा है। फलवान में हमारे बहुतर भारतीय सैनिकों के बलिदान का मोदी ने चीन को कलोन चिट देकर अपमान किया। अब चीनी कंपनियों के लिए लाल कालोन बिखरकर, वह दिखा रहे हैं कि उनकी लाल आंखों में लाल रंग कितना गहरा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के रूसी रेल निर्यात पर अमेरिकी राष्ट्रपति

डोनाल्ड ट्रम्प की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की भी आलोचना करते हुए इसे आत्मसमर्पण का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ऐनाका भारत के रूसी रेल निर्यात पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मोदी चुप हैं। वह अपनी आंखें पेर रहे हैं। सर वाली बात आत्मसमर्पण जैसी लगती है। हमारे लिए विदेश नीति का मतलब है राष्ट्रीय हित को

सबसेपरि रखना। लेकिन मोदी सरकार ने हमारी गुटनिष्ठ और रणनीतिक स्वायत्तता वाली विदेश नीति को कराग झटका दिया है। खरगे ने आगे कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति एक बेकवून पैडलम की तरह झुगमती है, कभी दूर, कभी उधर, और इसका खासियत भारत की जनता भुगत रही है। 2020 में फलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई शतक झड़प के बाद चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। यह संधिबित बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन अमेरिकी के दबाव के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल, प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई थी।

लालू और राबड़ी पर आरोप तय, राउज़ एवेन्यू का अहम फैसला



नई दिल्ली ।

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एक आपराधिक गिरेह की तरह काम कर रहे थे और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप तय

आदेश पारित करते हुए कहा कि सट्टे के आधार पर लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को और से एक व्यापक सावित मौजूद थी। अदालत ने कहा कि जॉन एंजेली द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत इस स्तर पर घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं। 19 दिसंबर को, सीबीआई द्वारा लालू यादव और अन्य के खिलाफ दायर मामले को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विशाल गौगने ने कहा कि आरोपी पर फैसला 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सुनया जाएगा। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने मामले में आरोपियों की स्थिति के संबंध में एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उसके आरोप पत्र में जमिन 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है।

एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 13 जनवरी को अर्जियों पर सुनवाई

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर आगम सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सुरेशकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिन में इन याचिकाओं की सुनवाई तब की थी, लेकिन बाद में कहा कि वह मालतवार (13 जनवरी) को कार्यवाही फिर से शुरू करेगी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वॉक्श अधिकांता रफेरा द्विवेदी मामले में अपनी दलीलें फिर से पेश करने वाले थे। 6 जनवरी को, निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने को अधिकांता और क्षपत उसके पास है, साथ ही यह सुनिश्चित करना संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी भी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न किया जाए। चौफ जॉरिस सुरेशकांत की अनुवाई वाली बेंच ने कहा कि कार्यवाही मालतवार को फिर से शुरू की जाएगी। मामले में चुनाव आयोग की ओर से पेश वॉक्श अधिकांता रफेरा द्विवेदी को अपने रक्त आगे बढ़ने थे। 6 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की शक्ति और क्षमता है, और इसके साथ ही यह संवैधानिक दायित्व भी है कि कोई भी विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो। इन याचिकाओं में बिहार सहित कई राज्यों में एसआईआर करने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी गई है और इनमें चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमा, नागरिकता तथा मतदान के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए हैं।

पीएम मोदी का गुजरात दौरा- सोमनाथ में ओंकार जाप, झेन शो में भी होंगे शामिल



नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी 2026 तक गुजरात के दौर पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 10 जनवरी को शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, वे रात करीब 8 बजे ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सोमनाथ मंदिर में झेन शो देखेंगे। बयान के अनुसार, 11 जनवरी को सुबह करीब 9:45 बजे, प्रधानमंत्री मोदी शीत वस्त्र में भाग लेंगे, जो सोमनाथ मंदिर को रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अमरिगत योद्धाओं को श्रद्धांजलि

अर्पित करने के लिए आयोजित एक औपचारिक जुलूस है। इसके बाद, सुबह करीब 10:15 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे, प्रधानमंत्री सोमनाथ स्थापना पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिन में आगे, प्रधानमंत्री कठ और सीराष्ट क्षेत्रों के लिए आयोजित वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजकोट जाएंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे, वे सम्मेलन में अव्योजित व्यापार फेले और प्रदर्शनों का उद्घाटन करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे, प्रधानमंत्री राजकोट स्थित मारवाड़ी निवासीशाला में कठ और सीराष्ट क्षेत्र के लिए वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

आतंकवाद पर अब होगा 'Digital Strike', अमित शाह बोले- एनआईडीएमएस बनेगा देश का सुरक्षा कवच

नई दिल्ली । भारत की पहली राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी का सुरक्षा कवच बनेगी और देश में होने वाली सभी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं की जांच और उनके निषिध फलनों के विलक्षण में आने वाले दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे देश की अंतर्गत सुरक्षा प्रणाली तीन प्रमुख तरीकों से मजबूत होगी। शाह ने गुजरात के मांसिर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) जंक्शन में एनआईडीएमएस का वचुजल



उद्घाटन करते हुए कहा कि नया दिया। यह भारत की आईईडी (इम्प्लांटेड इक्सप्लोसिव डिवाइस) विरोधी और

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह

सचिव, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक, एनएसजी के महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक और विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे। एनएसजी द्वारा विकसित एनआईडीएमएस एक सुरक्षित, राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) से संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह, संकलन और प्रसार करना है। शाह ने अपने संबोधन में कहा, देश में होने वाली सभी प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को जांच और उनके निषिध फलनों के विलक्षण के लिए एनआईडीएमएस आने वाले दिनों में

अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा, एनआईडीएमएस आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी का सुरक्षा कवच बनेगा। मंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र किए हैं, लेकिन अब तक वे अलग-अलग थे। भाग्य नेता ने कहा, अब हम इन सभी डेटा स्रोतों को आपस में जोड़ेंगे और उनके विलक्षण के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज एनआईडीएमएस का शुभारंभ इस प्रक्रिया को गति देगा और देश को अंतर्गतक से सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।